भानूराम आदि — गोपीराम आदि 102/2016

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1-10-17	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत अपील में विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के तौर पर विचारण की गई निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ही पारित किया गया है। स्वयं के निर्णय की अपील की सुनवाई स्वयं द्वारा किया जाना विधि सम्मत नहीं है फलस्वरूप पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को नियम स्थानान्तरित करने के लिए भिजवाई जावे। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर